

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा NMC नियम को रद्द किया जाना

स्रोत: हदुस्तान टाइम्स

दिल्ली न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस एन.के. जयराज के नेतृत्व में **सर्वोच्च न्यायालय (SC)** ने **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC)** के दिशा-निर्देश को मनमाना, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक करार दिया, जिसके अनुसार MBBS प्रवेश हेतु दवियांग उम्मीदवारों के "दोनों हाथों स्वस्थ, अकृष्ण संवेदना और पर्याप्त क्षमता होनी चाहिये"।

- इस दिशा-निर्देश को **दवियांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD), 2016**, संविधान के **अनुच्छेद 41** और **संयुक्त राष्ट्र दवियांगजन अधिकार सम्मेलन (UNCPRD) के विपरीत** माना गया।
 - **अनुच्छेद 41** के अंतर्गत कार्य करने, शिक्षा प्राप्त करने तथा बेरोजगारी, वृद्धावस्था, अस्वस्थता और दवियांगता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार की संरक्षा का प्रावधान किया गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी उम्मीदवार की योग्यताओं के **कार्यात्मक मूल्यांकन को कठोर पात्रता मानदंडों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिये**।
- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि NMC का **मूल्यांकन बोर्ड दो ऐतिहासिक निर्णयों** में निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल रहा:
 - **दिल्ली न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस एन.के. जयराज, 2024** : इसने निर्णय दिया कि मात्र दवियांगता का परमाणीकरण अपर्याप्त है, **कार्यात्मक क्षमता का मूल्यांकन** किया जाना चाहिये।
 - **दिल्ली न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस एन.के. जयराज, 2024** : इसमें शारीरिक विशेषताओं की तुलना में **कार्यात्मक योग्यता** को प्राथमिकता देते हुए **दवियांग उम्मीदवारों के लिये अवसरों** पर जोर दिया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने NMC से संविधान, RPwD अधिनियम, UNCPRD और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप **दवियांगता प्रवेश दिशानिर्देशों को संशोधित** करने का आग्रह किया।

और पढ़ें: [दवियांगजन व्यक्तियों के लिये सुगम्यता बढ़ाना](#)